

प्रपत्र VII

आदेश-पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में,

केस नं०

राज्य बनाम राजेश मिश्रा

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. अभियुक्त का नाम - राजेश मिश्रा

2. उम्र - 56 वर्ष

3. पिता का नाम - नरसिंह मिश्रा4. पता - सो. मिश्रा, चाना - मोटे, जिला - गोपालगंज5. गिरफ्तारी की तिथि, समय और स्थान 21/9/22, लग 2016, जिला - मोरगाड़ी6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि 21/9/22

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 21/9/22 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह मोरगाड़ी (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी, जिससे संपुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है।

उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन ₹4000/- रुपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

(Four Thousand)

Deepal Kumar

कार्यपालक मजिस्ट्रेट-सह-

स्थायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी)

let the be selतिथि 21/9/22स्थान मोरगाड़ी249